सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 130 राँची, बुधवार

13 फाल्गुन, 1936 (श०)

4 मार्च, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

13 फरवरी, 2015

संख्या-15/नीति नि०-07-04/2014 का.- 1348 -- भारत का संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा याचिका संख्या-डब्ल्यू० पी० (एस०) - 5924/2003, रमेश महतो बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 31 जुलाई, 2012 को पारित न्यायादेश के आलोक में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कर्नाटक राज्य बनाम उमादेवी एवं अन्य (2006), कर्नाटक राज्य बनाम एम० एल० केशरी एवं अन्य

(2010) तथा पंजाब वाटर सप्लाई एवं सिवरेज बोर्ड बनाम रणजोध सिंह एवं अन्य (2007) में दिए गए न्याय निर्णय में सन्निहित विन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

(i) संक्षिप्त नाम:- यह नियमावली 'झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015' कही जायेगी ।

(ii) विस्तार:- इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) प्रभाव की तिथि:- राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से यह नियमावली प्रवृत होगी ।

2. परिभाषाएँ

(i) राज्य सरकारः- 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार ।

(ii) अनियमित नियुक्तिः- 'अनियमित नियुक्ति' से तात्पर्य है यथोचित प्रक्रिया अपनाये बिना प्राधिकार द्वारा की गई नियुक्ति, जिसमें अवैध नियुक्ति शामिल नहीं है अर्थात् उक्त नियुक्ति स्वीकृत पद के विरूद्ध की गयी हो एवं कर्मी उक्त पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित करते हों, किन्तु चयन में खुली प्रतिस्पर्धा का रास्ता नहीं अपनाया गया हो ।

(iii) आयोग/चयन प्राधिकार:-'आयोग/चयन प्राधिकार' से अभिप्रेत है सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु घोषित आयोग/सक्षम प्राधिकार ।

(iv) समिति:- 'समिति' से अभिप्रेत है सरकार द्वारा विभाग एवं प्रमंडल/जिला स्तर पर गठित समिति।

3. प्रावधान

इस नियमावली के निम्नलिखित प्रावधान होंगे:-

(क) सेवा नियमितीकरणः-

(i) कर्नाटक सरकार एवं अन्य बनाम उमादेवी एवं अन्य (सिविल अपील संख्या-3595-3612/99, 1861-2063, 3849/2001, 3520-24/2002 तथा 1968/2006) में दिनांक 10 अप्रैल, 2006 को पारित न्यायादेश की तिथि को आधार तिथि मानते हुए उक्त तिथि के पूर्व न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों के द्वारा पारित आदेश से आच्छादित मामलों को छोड़कर सृजित पदों के विरूद्ध कार्यरत एवं कम-से-कम 10 वर्षों की लगातार सेवा करने वाले अनियमित रूप से नियुक्त कर्मियों की सेवा नियमितीकरण पर विचार किया जा सकेगा ।

(ii) यदि किसी कर्मी द्वारा धारित पद स्वीकृत न हो तथा वह निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करता हो, तो कालान्तर में धारित पद स्वीकृत होने एवं पदधारक द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर लेने की स्थिति में भी उसकी सेवा नियमितीकरण पर विचार नहीं किया जायेगा ।

(iii) उक्त नियुक्तियाँ सक्षम प्राधिकार के द्वारा की गई हों ।

(iv) संबंधित पदों पर नियुक्ति के लिए कर्मी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव धारित करते हों।

(v) इसके लिए पदों का सृजन नहीं किया जायेगा ।

(vi) नियमितीकरण में आरक्षण विषयक प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा ।

(vii) नियमितीकरण के लाभ नियमित नियुक्ति की तिथि से देय होंगे ।

(viii) इस नियुक्ति के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-16441 दिनांक 03 दिसम्बर, 1980 एवं समूह 'ग' के पदों पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया निरूपित करने वाले परिपत्र शिथिल समझे जायेंगे ।

(ix) यह नियम उन पदों पर नियुक्तियों के लिए लागू नहीं होगा, जिन पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग/चयन प्राधिकार नियुक्ति के समय कार्यरत थे ।

(x) उक्त कार्रवाई मात्र एक समव्यवहार (One time measure) के लिए की जायेगी एवं इसे पूर्वोद्धारण नहीं माना जायेगा ।

(ख) <u>प्रक्रिया का निर्धारणः</u>-

(i) उपर्युक्त रूप से योग्य कर्मियों की सेवा नियमितीकरण हेतु प्रत्येक विभाग में अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में निम्नवत् समिति गठित की जायेगीः-

1.	विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव	-	अध्यक्ष
2.	विभाग के प्रभारी विशेष/संयुक्त सचिव/उप सचिव	-	सदस्य सचिव
3.	विभागाध्यक्ष, यदि कोई हों	-	सदस्य
4.	स्थापना समिति में पूर्व से अनुसूचित जाति /जनजाति के मनोनीत प्रतिनिधि	-	सदस्य
5.	वित्त विभाग के प्रतिनिधि जो उप सचिव से अन्यून स्तर के हों	-	सदस्य

(ii) प्रमण्डल/जिला स्तर पर कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण हेतु समिति का गठन निम्न प्रकार किया जायेगा:-

1.	प्रमंडलीय आयुक्त	-	अध्यक्ष
2.	संबंधित उपायुक्त	-	सदस्य
3.	प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा मनोनीत उपविकास आयुक्त/अपर समाहर्ता	-	सदस्य

4. संबंधित जिले की स्थापना समिति में पूर्व
से अनुसूचित जाति/जनजाति के मनोनीत प्रतिनिधि - सदस्य

5. प्रमंडलीय आयुक्त के सचिव - सदस्य

6. संबंधित जिले के प्रभारी उप समाहर्ता (स्थापना) - सदस्य सचिव

(iii) राज्य के सरकारी उपक्रम, निकाय, निगम इत्यादि में संबंधित समिति का गठन संबद्ध प्रशासी विभाग के स्तर से की जायेगी, जिसमें कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली जायेगी ।

(iv) सभी विभाग/प्रमंडल/जिला/क्षेत्रीय कार्यालयों एवं अधीनस्थ सरकारी उपक्रम, निकाय, इत्यादि कंडिका-3(क) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के संबंध में सभी कागजातों/अभिलेखों/साक्ष्यों सहित वांछित सूचनाओं के साथ सूची तैयार कर इसे संबंधित समिति को उपलब्ध करायेगा ।

(v) उम्मीदवारों के संबंध में सूचना प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित समिति तत्संबंधी मामले में एक बैठक आयोजित करेगा एवं उपर्युक्त सभी शर्तों के अनुपालन की जाँच एवं आकलन कर एक पैनल तैयार करेगा ।

(vi) समिति द्वारा उम्मीदवारों की नियुक्ति हेतु तैयार किये गये पैनल को संबंधित प्राधिकार अर्थात् विभाग के मामले में संबंधित विभागीय प्रधान सचिव/सचिव एवं जिले से संबंधित मामलों में उनके प्रशासी विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) को भेजेगा ।

(vii) समिति द्वारा भेजे गये अनुशंसित उम्मीदवारों के पैनल को संबंधित प्रशासी विभाग इन मामलों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग तथा वित्त विभाग की सहमति के उपरांत समेकित रूप से मंत्रिपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगा ।

मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनोपरांत संबंधित सूची प्रशासी विभाग के द्वारा संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को उपलब्ध करायी जायेगी ।

(viii) नियुक्ति प्राधिकार प्राप्त सूची के आधार पर उम्मीदवारों की सेवा नियमितीकरण के मामले पर इस नियमावली के लागू होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर निर्णय लेगा ।

इनसे अनाच्छादित अन्य कर्मियों की सेवा तत्क्षण प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

(ग) <u>अन्यान्यः</u>-

नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों तथा संबंधित न्यायादेशों में अगर कोई विरोधाभाष हो, तो न्यायादेश के प्रावधान ही प्रभावी होंगे ।

उक्त व्यवस्था के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई हो तो कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग इस संबंध में दिशा-निदेश जारी करेगा ।

4. <u>निरसन एवं व्यावृत्ति</u>

(i) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व इस नियमावली के विषयों पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत कोई नियम/विनियम/अनुदेश/आदेश इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि से निरसित समझे जायेंगे।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी यदि कोई नियम/विनियम/अनुदेश/आदेश या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों द्वारा कोई किया गया कार्य या की गई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत थी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एस० के० शतपथी,

सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 130--50 ।